

झारखंड के ग्रामीण विकास वभाग पर ED का छापा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [प्रवर्तन नदिशालय \(ED\)](#) ने [मनी लॉन्ड्रिंग](#) जाँच के तहत राँची में झारखंड ग्रामीण विकास वभाग के परसिरों पर छापा मारा, जिसमें उसने हाल ही में भारी नकदी ज़ब्त की।

मुख्य बटु:

- ED ने न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि ग्रामीण विकास वभाग के "ऊपर से नीचे (Top to bottom)" तक के सरकारी अधिकारी कथित अवैध नकद भुगतान साँठगाँठ में शामिल हैं।
- यह भी दावा किया गया कि मामले में "वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं" के नाम सामने आए हैं तथा इसकी जाँच की जा रही है।
- [मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सितंबर 2020](#) में झारखंड पुलिस की [भ्रष्टाचार निरोधक शाखा \(जमशेदपुर\)](#) और दिल्ली पुलिस की [आर्थिक अपराध शाखा \(EOW\)](#) द्वारा राज्य ग्रामीण विकास वभाग के पूर्व मुख्य अभियंता व कुछ अन्य के खिलाफ मार्च 2023 में दर्ज की गई FIR पर आधारित है।

प्रवर्तन नदिशालय (The Directorate of Enforcement- ED)

- प्रवर्तन नदिशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो [मनी लॉन्ड्रिंग](#) (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और वदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
 - यह वित्त मंत्रालय के राजस्व वभाग के अधीन कार्य करता है।
- भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में ED भारत के संवधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।

धन शोधन या 'मनी लॉन्ड्रिंग'

- [मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छपाना या बदलना है](#) ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।
- [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष \(IMF\)](#) के अनुसार वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग वशिव [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) के 2 से 5% के बीच होने का अनुमान है।